

प्रेस नोट दिनांक- 13.08.2025

जनपद चन्दौली

◆ जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 02 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधी के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 02 आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है। तथा दोनों अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई जनपद चंदौली की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन पुलिस द्वारा किया जायेगा। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता-

मिट्टू उर्फ मिथुन कुमार पुत्र दुक्खी नि०वीरासराय थाना धीना जनपद चन्दौली।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०-13/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध नि०अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
- 2- मु०अ०सं०-14/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।
- 3- मु०अ०सं०-111/2023 धारा 3(1) यू०पी० गैग्रेस्टर एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली।
- 4- बीट सूचना- रपट न०-22 दिनांक 19.05.2024।
- 5- जांच बीट सूचना- रपट न०-27 दिनांक 19.05.2024।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता-

शिव कुमार उर्फ शिवा उर्फ संजय सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर नि० फगुईया थाना व जनपद चन्दौली।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०-002/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 419,420,467,468,471,307 भादवि० थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
- 2- मु०अ०सं०-073/21 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
- 3- मु०अ०सं०-377/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- 4- मु०अ०सं०-149/23 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- 5- मु०अ०सं०-136/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
- 6- नील/24 बीट सूचना रपट नं- 44 दिनांक 22.12.2024 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
- 7- नील/24 जांच बीट सूचना रपट नं- 60 दिनांक 22.12.2024 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।